निविदा प्रपत्र
(Tender Document)

कार्य का नामः– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के पहाड़ी जनपदों में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के लिए परिवहन निविदा हेतु मुहरबंद निविदा (Two Bid System).

Tender No -: SECPL/SILAGE TRANSPORTATION TENDER 01/23-24.

दिनांक 10 मई 2023

साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0 देहरादून,
कपूर टॉवर, तृतीय तल, राजपुर रोड़ देहरादून, उत्तराखण्ड।
ई.मेल.आई.डी– **sifed.ddn2021@gmail.com**

साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0, देहरादून

साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0, देहरादून वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त पहाडी जनपदों में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना में परिवहन निविदा में कार्य करने हेतु मुहरबंद निविदा (Two Bid System) प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर "निविदा" है, जिसके लिए सभी प्रतिभागियों को निविदा पत्र के साथ रू 1500 जी0एस0टी0 सहित भुगतान किया जाना होगा। इच्छुक निविदादाता पूर्ण रूप से भरा निविदा पत्र को मांगे गये सभी प्रपत्र एवं शुल्क इत्यादी के साथ हाथों–हाथ के माध्यम से साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0, देहरादून के कार्यलय में जमा करवाना होगा।

किसी भी एक निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार अधो–हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक
साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0,
देहरादून।

साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0, देहरादून

निविदा फॉर्म जमा करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	15 मई 2023, 17:00
निविदा फॉर्म खुलने की अन्तिम दिनांक एवं समय	17 मई 2023, 16:00

धरोहर धनराशि रू 35000/(Earnest Money) जो कि बैक ड्राफ्ट के रूप में "साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0, Axis Bank GMS Road Dehradun" के पक्ष में होगा।

निविदा से सम्बंधित जानकारी

E-mail: sifed.ddn2021@gmail.com

निविदा दस्तावेजों में संशोधन

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0 किसी भी कारण से चाहे अपनी पहल पर या संभावित आवेदक द्वारा अनुरोध किये गए स्पष्टीकरण के जबाब में इस निविदा दस्तावेजो को एक संशोधन द्वारा संशोधित कर सकता है।
2. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी शुद्धिपत्र/परिवर्तन के लिए कम्पनी की वेबसाइट देखते रहें।
3. इसके अलावा संभावित आवेदकों को अपनी निविदा तैयार करने के लिए संशोधन को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए कम्पनी अपने विवेक पर निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथी बढा सकता है, या निर्धारित आवश्यकताओं में अन्य परिवर्तन कर सकता है।

साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0, देहरादून

प्रपत्र–अ

तकनीकी निविदा

कार्य का नामः– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के पहाड़ी जनपदों में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के लिए सायलेज परिवहन निविदा प्रपत्र

1	निविदा दाता का नाम	
2	निविदा दाता का पता / दूरभाष न0	
3	पंजीकरण संख्या (GST, PAN,Partnertship/Company ect) स्वप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य है	
4	ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में कार्य करने का 03 वर्षो का प्रमाण पत्र जो निविदा दाता के पक्ष में होगा,तकनीकी निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य है।	
5	विगत 02 वर्षो का आयकर रिर्टन तकनीकी निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य है	
6	निविदा दाता से सम्बद्ध / स्वामित्व ट्रकों की संख्या। आर0 टी0 ओ0 रजिस्ट्रशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य है	
7	अमानत धनराशि (Earnest Money) का विवरण	
8	निविदा दाता द्वारा विगत 02 वर्षो की बैलेंस शीट (Charteted Accountant) द्वारा अधिकृत हो, संलग्न करना अनिवार्य है।	

हमारे /मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त सूचना पूर्ण रूप से सही है, तथा समय–समय पर साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0 द्वारा जारी किये गए निर्देशों का पालन किया जायेगा। उपरोक्त के अनुसार सभी वांछित सूचना/छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक　　　　　　　　　　हस्ताक्षर

स्थान　　　　　　　　　　नाम

फर्म का नाम

पद

साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0, देहरादून

नियम एवं शर्ते

1. मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना हेतु सायलेज परिवहन का कार्य करने वाले निविदा दाता के पास कम से कम 04 ट्रकों का स्वामित्व होना अनिवार्य है।
2. निविदा स्वीकृति होने पर सम्बंधित निविदा दाता को अनुबंध के समय सुरक्षा धनराशि रू 200000.00 (दो लाख रू मा़त्र) देनी होगी।
3. तकनिकी निविदा को अर्नेस्ट मनी एवं निविदा शुल्क सहित एक लिफाफे में सील्ड कर लिफाफे के बाहर "तकनिकी निविदा" अंकित किया जाय।
4. वित्तीय निविदा को प्रपत्र ब में अलग लिफाफे में सील्ड कर लिफाफे के बाहर वित्तीय निविदा" अंकित किया जाय।
5. कार्य अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि का होगा।
6. संस्था द्वारा सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर को वाहन की आवश्यकता पडने पर दूरभाष से अथवा लिखित में वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा। सूचना के निर्धारित अवधि 8 घंटे तक भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर, इस संस्था द्वारा वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी एवं ऐसी स्थिति में इस संस्था को निर्धारित दरों से अधिक व्यय करना पडता है, तो अधिक व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लम्बित बिलों अथवा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी। यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा इस प्रकार की चूक 03 बार से अधिक की जाती है तो ऐसी स्थिती में ट्रांसपोर्टर का अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

7- टोल टैक्स, पुल टैक्स एवं पार्किंग आदि समस्त व्ययों का भुगतान सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

8. यदि निविदा कर्ता द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नही कराया जाता अथवा अनुबन्ध की अवधि के बीच में छोड़ने की स्थिति में संस्था को यह अधिकार होगा कि तीन नाटिस के उपरान्त सम्बन्धित निविदा कर्ता का टैण्डर निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को जब्त कर लें।
9. भेजे जाने वाले माल की गतव्य स्थान तक पूर्ण मात्रा में अच्छी एवं सही स्थिति में समय से पहुचाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा। माल प्राप्ति की रसीद भी इस संस्था को उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर की होगी। परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी की अथवा किसी भी प्रकार की स्थिति में हुई हानि की क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा।
10. माल चोरी होने की स्थिती सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
11. सायलेज वाहन की न्यूतम क्षमता 09 टन या उससे अधिक टन आर0 टी0 ओ0 से पास होनी चाहिये।
12. उपरोक्त में लिखित नियम एवं शर्तो के अभाव में प्राप्त तकनिकी निविदा प्रपत्र – अ को निरस्त करते हुए वित्तीय निविदा प्रपत्र –ब नहीं खोला जायेगा।
13. पशुआहार सायलेज के अनलोंडिग (उत्तरायी) का उत्तरदायित्व परिवहन कर्ता का होगा।

14. निविदा से सम्बन्धित समस्त एवं सलंग्न किये जाने वाले अभिलेखो पर निविदा दाता के हस्ताक्षर अनिवार्य होगे तथा वांछित प्रपत्रो/अभिलेखो के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख संलग्न न किये जाय।
15. लिफाफो को पूर्ण एवं सीलबन्द स्थिती में ही स्वीकार किया जायेगा, खुले अथवा हस्ताक्षर रहित निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
16. किसी भी निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक सायलेज फैडरेशन के पास निहित होगा।

साइफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0, देहरादून

प्रपत्र–ब

वित्तीय निविदा

कार्य का नामः– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के पहाड़ी जनपदों में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के लिए सायलेज परिवहन निविदा प्रपत्र

निविदा दाता का नाम वित्तीय वर्ष

निविदा दाता का पताः जनपद का नाम

सेवा में
निदेशक
सायफेड एवं एथेनिक काऊज प्रा0 लि0,
कपूर टॉवर, तृतीय तल, राजपुर रोड़,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त पहाडी जनपदो हेतु मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के लिए सायलेज परिवहन की वित्तीय विड की दरें।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण		
	सायलेज / पशुचारा देहरादून शकंरपुर और छरबा प्लांट से समितियों के गोदाम तक (उत्तरायी सहित) ।		
		पर्वतीय दर रू प्रति टन / किमी0	मैदानी दर रू प्रति टन / किमी0

दिनांक हस्ताक्षर

स्थान नाम

फर्म का नाम

पद